श्री चैतन्य प्रसाद (भा0प्र0से0), प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना–सह–प्रभारी सचिव, औरंगाबाद जिला की अध्यक्षता में दिनांक–08.07.2017 को औरंगाबाद समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों से परिचय कराया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा सर्वप्रथम आपदा से संबंधित समीक्षा के क्रम में यह जानने की इच्छा जाहिर की गयी कि जिले में वर्षापात की क्या स्थिति है।

आपदा व बाढ़ नियंत्रण संबंधी मामले :–

- जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि माह– जून में 38 मि0मी0 वर्षा होनी चाहिए थी, जिसके विरूद्ध जिले में 35 मि0मी0 वर्षा हुई है। जुलाई माह में अब तक 37 मि0मी0 वर्षा हुई है।
- बिचड़ा आच्छादन के संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नहरी क्षेत्र में 100 प्रतिशत बिचड़ा आच्छादित किया जा चुका है तथा गैर नहरी क्षेत्र में 80–85 प्रतिशत बिचड़ा आच्छादित किया गया है। इन क्षेत्रों में दिनांक–10.07.2017 तक शत–प्रतिशत बिचड़ा का आच्छादन हो जायेगा। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि अबतक 74 हेक्टेयर में रोपनी का कार्य किया जा चुका है।
- नहर प्रणाली में पानी की उपलब्धता के संबंध में कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि उत्तर कोयल नहर की कुल क्षमता 2960 क्यूसेक पानी है, जिसमें आज 1624 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। उनके द्वारा आगे यह भी बताया गया कि जितना पानी पिछले साल छोड़ा गया था, उतना पानी इस साल भी छोड़ा जायेगा।
- पटना कैनाल के कार्यपालक अभियंता बैठक से अनुपस्थित पाये गये, जिसके कारण पटना कैनाल में पानी की स्थिति की समीक्षा नहीं की जा सकी। साथ ही जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पटना कैनाल के कार्यपालक अभियंता प्रत्येक सोमवार को होने वाली जिला स्तरीय पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक में भी भाग नहीं लेते हैं। निदेश दिया गया कि पटना कैनाल के कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण पूछा जाय तथा इनका आज दिनांक– 08.07.2017 का वेतन भी अगले आदेश तक स्थगित किया जाय। साथ ही इनके विरूद्ध विभाग को भी प्रतिवेदित किया जाय।
- सोन उच्चस्तरीय नहर में पानी की उपलब्धता के संबंध में कार्यपालक अभियंता, सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि नहर प्रणाली (सोन) में पानी की कोई कमी नहीं है। पानी पर्याप्त मात्रा में है। जब भी जितनी पानी की मांग की जायेगी, वे आपूर्ति करने में सक्षम हैं।
- कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, औरंगाबाद बैठक से अनुपस्थित पाये गये, जिसके कारण राजकीय नलकूप द्वारा सिंचाई की समीक्षा नहीं की जा सकी। निदेश दिया गया कि इनसे स्पष्टीकरण पूछा जाय तथा आज दिनांक–08.07.2017 का वेतन स्थगित रखा जाय।
- वर्षामापक यंत्र के संबंध में प्रभारी पदधिकारी, आपदा द्वारा बताया गया कि प्रत्येक प्रखंड में एक–एक वर्षामापक यंत्र उपलब्ध है, जो चालू भी है। बाढ़ की संभावना के संबंध में बताया गया कि इस जिले में बाढ़ की कोई संभावना नहीं है। लाईफ जैकेट की उपलब्धता के संबंध में इनके द्वारा बताया गया कि लाईफ जैकेट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जो गोदाम में रखा हुआ है।

- GPS के संबंध में प्रभारी पदाधिकारी, आपदा द्वारा बताया गया कि सभी संबंधितों को GPS उपलब्ध करा दिया गया है।

- सिविल सर्जन, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि आपात स्थिति के लिए सभी तरह की आवश्यक जीवनरक्षक दवाईयॉ (सर्पदंश सहित) एवं ब्लीचींग पाउडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। निदेश दिया गया कि त्वचाजनित रोग से संबंधित दवाईयॉ भी भण्डार में रखें।

- जिला पशुपालन पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि सभी प्रकार के आवश्यक पशु दवाईयॉ (36 प्रकार) पर्याप्त मात्रा में (95 प्रतिशत) उपलब्ध हैं। यह भी बताया गया कि फरवरी–मार्च माह में जो दवा/वैक्सीन (एच0एस0भी0क्यू0) पशुओं को दी जाती है वह दी जा चुकी है। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि वैक्सीन पटना से आता है तथा दवा जिला स्तर पर क्रय किया जाता है।

- पशु चारा की उपलब्धता के संबंध में जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी चारा उपलब्ध नहीं है। इसके लिए 15 जुलाई, 2017 को निविदा की तिथि पूर्व निर्धारित है।

- नाव की उपलब्धता के संबंध में पूछे जाने पर प्रभारी पदाधिकारी, आपदा द्वारा बताया गया कि जिले में दो नाव सरकारी हैं तथा 52 निजी नाव चिन्हित किये गये हैं, जिसका निबंधन कराया जा रहा है। निबंधन की तिथि 09, 10 एवं 11 जुलाई 2017 को निर्धारित की गयी है। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जो लोग नावों का निबंधन नहीं करायेंगे, उनका नाव जब्त कर लिया जायेगा।

- बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर खाद्यान्न की उपलब्धता के संबंध में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा बताया गया कि जो भी खाद्यान्न उपलब्ध हैं, वह जन वितरण प्रणाली (एन0एफ0एस0ए0 कोटा अन्तर्गत) का है। बाढ़ के लिए अलग से कोई खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है। इस पर जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आपात स्थिति के लिए 750 एम0टी0 खाद्यान्न बफर स्टॉक के रूप में उपलब्ध है, जिसे आवश्यकतानुसार वितरित कर विभाग से आवंटन ससमय प्राप्त कर लिया जायेगा।

- बाढ़ की स्थिति में सड़को की सुरक्षा के संबंध में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि बाढ़ के समय जहाँ–जहाँ सड़क में कटाव (रेन कट) होता है उसे चिन्हित कर लिया गया है। इस साल अभी तक कहीं भी रोड नहीं कटा है। कटाव से बचाव के लिए बोल्डर उपलब्धता हेतु विभाग को प्रतिवेदन भेजा गया है।

  अम्बा प्रखण्ड अन्तर्गत बटाने नदी पर बालुगंज–संडा रोड में बने पुल के दो साल पूर्व बाढ़ से टूट जाने के कारण वहॉ नया पुल निर्माण हेतु विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। तत्काल वहाँ हाईब्रिज (ऊँचा पुल) बना दिया गया है, किन्तु बाढ़ आने पर वह टूट जायेगा तो आवागमन बन्द हो सकता है। उनके द्वारा आगे यह भी बताया गया कि रिउर पंचायत में भी बाढ़ की स्थिति में सड़क टूटता है, वहां पर भी बोल्डर उपलब्धता हेतु प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है। इनके द्वारा यह बताया गया कि नहर में कहीं भी कटाव नहीं हुआ है।

- जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि गोह प्रखंड के बाजार वर्मा तथा ओबरा में नदी में कटाव होता है। नदी का कटाव रोकने का कार्य अब बाढ़ नियंत्रण, गया प्रमंडल के अधीन है एवं उसके कार्यपालक अभियंता गया में रहते हैं। यहाँ कोई अभियंता नहीं रहता है। आज की बैठक में सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण उपस्थित थे। उन्हें निदेश दिया गया कि बाढ़ से होने वाले कटाव पर पैनी नजर रखते हुए निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक सोमवार को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाली समन्वय बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

- सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होने पर आकस्मिक कार्य योजना के संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि उसके लिए नर्सरी लगाया गया है। उससे 1100 एकड़ में रोपनी कर सकते हैं। निदेश दिया गया कि कम वर्षापात होने की स्थिति में

सुखाड़ निरोधात्मक कार्रवाई हेतु वैकल्पिक कार्य योजना के तहत प्रभेदक बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करें। इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि कुदरा अवस्थित बीज विक्रय केन्द्र से 105 क्वीं0 उच्च प्रभेदक बीज (सहभागी/सहभागीता) प्राप्त कर लिये गये है। इसके अतिरिक्त मक्का के भी उन्नत प्रभेदक बीज का वितरण कृषकों के बीच कर दिया गया है, इस कारण इसकी पैदावार 147 हेक्टेयर में की गयी है।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम संबंधी मामले :–

- बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार विषयक मामले की समीक्षा के क्रम में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, औरंगाबाद, श्री गजेन्द्र मिश्रा द्वारा बताया गया कि जिला स्तर पर कुल 2576 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 2140 निष्पादित किये जा चुके हैं। शेष 434 मामले लम्बित है जो 60 दिन के अंदर के हैं। उनके द्वारा बताया गया कि दोनों अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय में कुल 3289 आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिसके विरूद्ध 2977 का निष्पादन किया जा चुका है। शेष 304 मामले लम्बित है। दोनों स्तरों पर लम्बित मामलों की विभागवार समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि सभी लम्बित मामले 60 दिन से कम के हैं, किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया जा सका कि कितने मामले एक माह, दो माह एवं तीन माह से लम्बित है। निदेश दिया गया कि एक माह, दो माह एवं तीन माह से लम्बित मामलों की सूची अवधिवार अलग–अलग विभागवार बनायी जाय ताकि संबंधित लोक प्राधिकार से उसका अनुपालन कराया जा सके तथा ससमय अनुपालन नहीं किये जाने पर जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए अग्रेतर अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सके।
- यह पूछे जाने पर कि सबसे अधिक किस तरह के मामले आते है तो उनके द्वारा बताया गया कि सबसे अधिक अतिक्रमण के मामले आते हैं।
- अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं, जो संदिग्ध बंदोबस्ती पर्चा से संबंधित होते है एवं उसका निष्पादन नहीं हो पा रहा है। साथ ही कुछ लोग ऐसे आ रहे है, जो कहते हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है, भूमिहीन है। हमें जमीन दिया जाय, जिसका निष्पादन ससमय संभव नहीं हो पा रहा है।

इनके द्वारा यह भी बताया गया कि सभी अंचल में अमीन नहीं रहने के कारण भी अनुपालन में विलम्ब हो रहा है। सभी अंचलों में अमीन का शीध्र पदस्थापन आवश्यक है।

"आर्थिक हल, युवाओं को बल" संबंधी मामले :–

- इस कार्यक्रम अन्तर्गत सर्वप्रथम स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में जिला योजना पदाधिकारी, औरंगाबाद (नोडल पदाधिकारी) द्वारा बताया गया कि इसमें अब तक कुल 642 आवेदन प्राप्त हुए है, उनमें से 408 छात्रों द्वारा डी0आर0सी0सी0 में सत्यापन कराया गया है। टी0पी0ए0 को सत्यापन हेतु 396 आवेदन उपलब्ध कराये गये हैं तथा 277 आवेदन सत्यापनोपरांत टी0पी0ए0 से प्राप्त हो गये हैं। इनमें से 272 आवेदन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) द्वारा बैंकों को अग्रसारित कर दिये गये हैं तथा 150 आवेदन बैंको द्वारा स्वीकृत करते हुए 41 मामलों में ऋण की राशि छात्रों को हस्तांतरित की जा चुकी है।

के0वाई0पी0 :–

- इस योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 5062 आवेदन प्राप्त हुये हैं जबकि 3848 आवेदकों द्वारा डी0आर0सी0सी0 में सत्यापन कराया गया है तथा 3759 आवेदन संबंधित सहायक प्रबंधक द्वारा के0वाई0पी0 पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

एस0एच0ए0 :–

- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा, शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, जिनकी फीस बहुत अधिक है और 04 लाख से उन्हें कोई विशेष सहयोग नहीं प्राप्त हो पाता है, इसलिए भी अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं हो पाते हैं।

- स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड हेतु कम आवेदन आने के संबंध में पूछे जाने पर जिला योजना पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बहुत सारे छात्र प्राईवेट कॉलेज में नामांकन कराते है। वहाँ का फीस अधिक होने से भी वे इसके प्रति इच्छुक नहीं रहते है।

  यह पृच्छा किये जाने पर कि जो छात्र बी0एस0सी0सी0 से लोन लेता है, वह फिर बैंक से अलग से दूसरा लोन से सकता है या नहीं? जिला योजना पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ऐसा व्यक्ति ऋण ले सकता है, लेकिन जो व्यक्ति उस बैंक से एक लोन यदि ले लेता है, तो उसे बी0एस0सी0सी0 अन्तर्गत उसी बैंक से दूसरा लोन नहीं मिलेगा।

- डी0आर0सी0सी0 के चहारदीवारी निर्माण के संबंध में पूछे जाने पर कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि पटना मुख्यालय अवस्थित डिजाईन शाखा में मामला लम्बित है।

<u>नगर निकायों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा</u> :–

<u>हर घर नल का जल –</u>

- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि नगर परिषद क्षेत्र औरंगाबाद में AMRUT योजना के तहत शत–प्रतिशत घरों को हर घर नल का जल के लिए लिया जा चुका है। इन्हें निर्देश दिया गया कि जो योजनाएं ली जाती है, उसकी जानकारी नगर निकाय के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को भी उपलब्ध करायी जाय।

  कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि AMRUT योजना अन्तर्गत प्रथम चरण में 29 करोड़ रूपये की योजना स्वीकृत हुई है। दूसरे चरण में 01 करोड़ की योजना ली गयी है, जो अभी स्वीकृत नहीं हुई है। निदेश दिया गया कि दोनों योजना एक साथ स्वीकृत करा लें।

- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, दाउदनगर द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत, दाउदनगर में 22 वार्ड में शत–प्रतिशत हर घर नल का जल का कार्य चल रहा है। 01 वार्ड में अभी काम शुरू नहीं किया जा सका है, जिसका डी0पी0आर0 बनाया जा रहा है। उनके द्वारा दो जगह पानी टंकी बनाये जाने की बात कही गयी। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, दाउदनगर द्वारा यह भी बताया गया कि कनीय अभियंता के द्वारा काम नहीं किये जाने के कारण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी से वार्ता करके दूसरे कनीय अभियन्ता की प्रतिनियुक्ति कराना सुनिश्चित करें।

- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, नबीनगर द्वारा बताया गया कि नबीनगर में कुल 14 वार्ड है। बिहार राज्य जल परिषद द्वारा वहां अभी कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ मनरेगा के कनीय अभियंता की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो अभी काम नहीं कर रहे हैं।

- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रफीगंज द्वारा बताया गया कि रफीगंज में पेयजल योजनांतर्गत 04 वार्ड में नापी हो गया है। शेष वार्डों में नापी का कार्य एक सप्ताह के अन्दर पूरा करने का आश्वासन कनीय अभियंता द्वारा दिया गया है।

<u>पक्की नाली गली का निर्माण</u> :–

- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि औरंगाबाद में वार्डसभा किया गया था, जिसमें से 33 वार्डों में से 18 वार्डों के लिए इस योजना के तहत वार्डवार योजनाओं की सूची बनायी गयी है। आगे बताया गया कि कार्यकारिणी द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में सभी वार्ड (33) में चयनित सूची के अनुसार अग्रेतर कार्य कराया जायेगा।

- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद को निदेश दिया गया कि आवंटित की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र विभाग को भेजें ताकि अग्रेत्तर किस्त की राशि विमुक्त की जा सके।

- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, दाउदनगर द्वारा बताया गया कि दाउदनगर में कुल 23 वार्डों में 56 योजना स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 45 योजना में कार्य शुरू हो गया है। निदेश दिया गया कि सभी वार्डों में उक्त योजना से संबंधित सूचना बोर्ड पर लगायें।

- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रफीगंज द्वारा बताया गया कि रफीगंज में कुल 21 योजनाएं ली गयी है। सभी योजना का निविदा निष्पादन हो गया है, जिसमें से 07 योजना पूर्ण है, जबकि 08 योजना में कार्य शुरू हो गया है एवं शेष 06 योजना में कार्य शुरू होने वाला है। निर्देश दिया गया कि छूटे हुए क्षेत्रों में हर वार्ड में एक–एक और योजना लेने की कार्रवाई की जाय।

स्वच्छ भारत मिशन :–

- बताया गया कि इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में शौचालय निर्माण की योजना लिया जाना है। आगे बताया गया कि इस योजना में शौचालय निर्माण हेतु लाभुकों को 7500/–रूपये की राशि पहले दी जाती है तथा 4500/–रूपये की राशि कार्य पूर्ण होने पर दी जाती है। जहॉ जमीन है, वहॉ प्रत्येक घर में शौचालय बनाना है। जिस लाभुक के पास अपनी जमीन उपलब्ध नहीं है, वहॉ पर सामुदायिक शौचालय बनाना है। हर एक परिवार के लिए एक–एक शौचालय अलग–अलग आवंटित करना है। जहॉ जमीन कम है, वहॉ दो मंजिला शौचालय का निर्माण कराया जाना है एवं जहॉ जमीन उपलब्ध नहीं है, वहॉ चलन्त शौचालय का भी निर्माण कराया जाना है।

- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि औरंगाबाद में प्रथम सर्वे में 1714 घर शौचालयविहीन प्रतिवेदित किये गये थे। पुनः दोबारा सर्वे कराये जाने पर कुल 973 परिवार शौचालयविहिन पाये गये हैं। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि इन सभी शौचालयविहिन परिवारों को 31 दिसम्बर तक शौचालय निर्माण कराकर पूरे शहर को ओ0डी0एफ0 घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि 95 लोगों को शौचालय के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। वहॉ पर समुदायिक शौचालय निर्माण कराने का निदेश दिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस माह के अन्दर जिन लोगों के पास जमीन उपलब्ध नहीं है, उनके लिए सामुदायिक शौचालय निर्माण कराने हेतु भूमि का सर्वे कर लिया जायेगा। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर उक्त कार्य पूर्ण कर लें।

- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि 973 के विरूद्व 840 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। यह भी बताया गया कि प्राप्त 840 आवेदन पत्रों में से 773 का सत्यापन करा लिया गया है। निदेश दिया गया कि जिन लोगों के द्वारा शौचालय निर्माण हेतु आवेदन नहीं दिये गये है, उनके घर–घर जाकर आवेदन प्राप्त करें एवं जिन लाभुकों के आवेदन का सत्यापन हो गया है, उनका पहला किस्त भुगतान तुरंत करें। उन्हें 02 अक्टूबर तक का लक्ष्य निर्धारित करते हुए सभी वार्डों (33) को ओ0डी0एफ0 घोषित करने का निदेश दिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि बड़े सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु काम पहले शुरू कर दें।

- जिला पदाधिकारी द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद को निदेश दिया गया कि गॉधी मैदान एवं दानी बिगहा में सबसे पहले शौचालय निर्माण का कार्य प्रारम्भ करायें।

- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, दाउदनगर द्वारा बताया गया कि दाउदनगर में प्रथम सर्वे में 4080 घर शौचालयविहीन पाये गये थे। दूबारा सर्वे कराने पर 2890 घर शौचालयविहीन पाये गये। इसमें से 1097 घरों में शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है। 200 लोगों के पास जमीन उपलब्ध नहीं है। निदेश दिया गया कि जिनके पास जमीन उपलब्ध नहीं है, उनके लिए सामुदायिक शौचालय या चलन्त शौचालय का निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू किया जाय। जिनके पास जमीन उपलब्ध है, उन्हें भी जल्द से सारी प्रकिया पूरी

कराकर प्रथम किस्त का भुगतान दिनांक–22.07.2017 को (तृतीय शनिवार) निश्चित रूप से करा दिया जाय।

- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रफीगंज द्वारा बताया गया कि रफीगंज में कराये गये सर्वे के अनुसार 1857 घरों में शौचालय नहीं है, जिसमें 404 लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान किया जा चुका है। इसमें से 220 शौचालय पूर्ण हो गये है। इसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर सर्वे कराकर सभी को प्रथम किस्त का भुगतान कैम्प लगाकर किया जाय। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस सप्ताह सभी का सर्वे कराकर सभी को प्रथम किस्त का भुगतान कर दिया जाय।
- जिला पदाधिकारी को सभी नगर पंचायतों में कैम्प के दिन अलग से एक–एक वरीय प्रभारी पदाधिकारी को दिनांक–22.07.2017 (तृतीय शनिवार को) भेजने का निदेश दिया गया ताकि उक्त कार्यों का अनुश्रवण कराया जा सके।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रफीगंज द्वारा बताया गया कि 120 ऐसे परिवार है, जिनके पास जमीन उपलब्ध नहीं है एवं वैसे लाभुकों के लिए 02 सामुदायिक शौचालय एवं 02 चलन्त शौचालय का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है। निदेश दिया गया कि शेष सभी लोगों के लिए स्थल चिन्हित कर सामुदायिक शौचालय का शीघ्र निर्माण कराया जाय।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, नबीनगर द्वारा यह बताया गया कि नबीनगर में 3286 लोग ऐसे हैं, जिनके पास शौचालय नहीं है। इनमें 170 लोगों को प्रथम किस्त की राशि दी गयी है। निदेश दिया गया कि शेष छूटे सभी लाभुकों को दिनांक–22.07.2017 को कैम्प लगाकर प्रथम किस्त की राशि का भुगतान शीघ्र किया जाय।

<u>सबके लिए आवास योजना</u> :–

- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि आवास योजना निर्माण हेतु दो चरण में योजना स्वीकृत किया गया है। पहले चरण में 42 योजनाओं की स्वीकृति दी गयी है तथा दूसरे चरण में 338 योजनाओं की स्वीकृति दी गयी है। प्रथम भाग की 42 योजनाओं में से 38 को द्वितीय किस्त दे दिया गया है। 338 में से 154 की ऑनलाईन प्रविष्टि हो गयी है। निदेश दिया गया कि 338 लाभुकों को दिनांक–22.07.2017 को निर्धारित कैम्प में ही प्रथम किस्त की राशि का शत–प्रतिशत भुगतान कर दिया जाय।
- नगर अध्यक्ष, औरंगाबाद द्वारा कहा गया कि औरंगाबाद शहर में बहुत ऐसे भी लोग हैं, जिनके पास बेलगान जमीन है जबकि उसका रसीद नहीं कट रहा है। उसका घर बनाने के बारे में असमर्थता जाहिर की गयी। निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी को ऐसे सभी लाभार्थी की सूची उपलब्ध करा दें ताकि नियमानुसार उसकी प्रकिया पूर्ण करवाकर लगान रसीद कटवाने की कार्रवाई की जा सके। नगर अध्यक्ष द्वारा यह भी कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति चार भाई है और उनके पास दो ही रूम बनाने का जमीन उपलब्ध है तो उसके उपर रूम बना सकता है या नहीं। बताया गया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, दाउदनगर द्वारा बताया गया कि दाउदनगर में कुल 120 आवास निर्माण हेतु नई योजना स्वीकृत हुई है और पहले का 50 योजना स्वीकृत है, जिसमें से 05 को प्रथम किस्त का भुगतान किया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक–22.07.2017 को निर्धारित कैम्प के दिन सभी लाभार्थी को प्रथम किस्त की राशि दे दिया जाय।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, नबीनगर द्वारा बताया गया कि नबीनगर में कुल 305 आवास स्वीकृत की गयी है, जिसमें से 250 लाभार्थी को प्रथम किस्त दे दिया गया है। यह भी बताया गया कि 15 लाभार्थी को द्वितीय किस्त की राशि भी दे दिया गया है।

नबीनगर नगर पंचायत में आवास योजना आवंटन से संबंधित कुछ गम्भीर वित्तीय शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसकी जांच कार्यपालक पदाधिकारी को करने का निदेश दिया गया।

- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रफीगंज द्वारा बताया गया कि 500 योजना स्वीकृत हुआ है, जिसमें 240 को कार्यादेश दे दिया गया है। इसमें से 192 को प्रथम किस्त दे दिया गया है। 240 के अतिरिक्त सभी का जमीन बेलगान है, जिसके कारण उनलोगों को एन0ओ0सी0 नहीं मिल आ रहा है। जिला पदाधिकारी द्वारा उन्हें निदेश दिया गया कि ऐसे मामले अंचलाधिकारियों की साप्ताहिकी समीक्षात्मक बैठक में सूचीबद्ध कर निष्पादन हेतु लायें, जो प्रत्येक शनिवार को जिला योजना भवन के सभाकक्ष में चार बजे पूर्व निर्धारित है।
- सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी के स्तर पर आयोजित शनिवार को संध्या 04:00 बजे अंचल अधिकारियों की साप्ताहिकी समीक्षात्मक बैठक तथा सोमवार को प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों की 05:00 बजे सायं में पूर्व निर्धारित साप्ताहिकी समीक्षात्मक बैठक में अपने–अपने निर्धारित एजेण्डा व समन्वय हेतु विभागीय समस्या के साथ भाग लेंगे ताकि उसके समाधान हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

11/7/2017

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक 4599 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 12.7.17

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

11/7/2017

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4599 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 12.7.17

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि कार्यवाही की प्रति अपने स्तर से संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

11/7/2017

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4599 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 12.7.17

प्रतिलिपि :– नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रफीगंज, नबीनगर एवं दाउदनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/7/2017

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4599 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 12.7.17

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11/7/2017

प्रधान सचिव